विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 594
द्वारा माननीय विधायक श्री राजकुमार मेव

परिशिष्ट 'ब'

प्राप्त शिकायत तथा विधानसभा प्रश्नों के संबंध में गठित समितियों की जानकारी का विवरण

क0	समिति का विवरण	निरीक्षण तिथि	जॉच के निष्कर्ष
1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त जॉच समिति ।	02.01.2016	उद्योग के निकटवर्ती गावों के कुओं तथा बोरिंग के जल का परिक्षण किया गया जिसमे कोई भी पैरामीटर बीआईएस के पेय जल मानक 10500 के आधार पर अमानक स्तर का नहीं पाया गया। प्रथम दृष्टया फसल उत्पादन पर प्रभाव नहीं देखा गया । जनशिकायत के संदर्भ में सरपंच, ग्राम पंचायत गदवालिया, जनपद पंचायत, बड़वाह से भी संपर्क किया गया जिनके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की शिकायत को सिरे से नकारा गया ।
2	एसडीएम, बड़वाह, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, बड़वाह, उप संचालक, कृषि विभाग बड़वाह, जिला आबकारी अधिकारी, बड़वाह एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त जॉच समिति ।	30.05.2013	समिति द्वारा पाया गया कि उद्योग से दूषित जल का निस्सारण होने, कृषि भूमि के प्रभावित होने अथवा इकाई के आस–पास के क्षेत्र में स्वास्थ्य व जन–जीवन प्रभावित होने की स्थिति नहीं पाई। इस विषय में इकाई के समीप स्थिति ग्रामों के सरपंचों से भी जानकारी ली गई, उनके द्वारा दी गई जानकारी पर दर्शित है उसमें भी उक्त स्थिति की पुष्टि होती है। यद्यपि समीप के खुले कुओं में जल भूरे रंग का पाया गया था ।

शिकायत के परिपेक्ष्य में विशेष उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन, तकनीकी में विकास के साथ एक सतत् प्रकिया है । पूर्व में आसवन उद्योगों की प्रकिया से उत्पन्न निस्त्राव दूषित जल उपचार संयंत्र से उपचार उपरान्त भूमि पर सिचाई आदि हेतु उपयोग में किया जाता था, इससे रंग की समस्या आस–पास के क्षेत्र में परिलक्षित होने की स्थिति निर्मित हो जाती थी । विगत लगभग पॉच वर्षो से उद्योग द्वारा उपचार निस्त्राव का उपयोग भूमि पर नहीं किया जा रहा है अतः वर्तमान में ऐसी कोई समस्या निर्मित नहीं हुई है।

डॉ प्रेम कुमार श्रीवास्तव
वैज्ञानिक